[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 20/2025-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर, 2025

सा.का.नि. .....(अ).– केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (इसके बाद 'उक्त नियम' कहे गए हैं) में, नियम 31C के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"31D. खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर माल की आपूर्ति का मूल्य।– (1) इस अध्याय के किसी भी उपबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में दिए गए विवरण वाले माल, जो तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट संगत अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/ शुल्क-वस्तु के अंतर्गत आते हैं, की आपूर्ति का मूल्य, ऐसे माल पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य से लागू कर की राशि को घटाकर माना जाएगा, अर्थात्:–

तालिका

क्र. सं.	**अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/शुल्क वस्तु**	**माल का विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान मसाला
2.	2401	अवनिर्मित तंबाकू; तंबाकू उच्छिष्ट [तंबाकू के पत्तों को छोड़कर]
3.	2402	सिगार, चेरूट, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बनी
4.	2403	अन्य निर्मित तंबाकू और निर्मित तंबाकू विकल्प; "समांगीकृत" या "पुनरचित" तंबाकू; तंबाकू निष्कर्ष और सत्व (बीड़ी को छोड़कर)
5.	2404 11 00	तंबाकू या पुनरचित तंबाकू युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत
6.	2404 19 00	तंबाकू या निकोटीन विकल्प युक्त माल और दहन के बिना श्वसन के लिए अभिप्रेत

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लागू कर की राशि का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा, अर्थात्:–

कर राशि = (खुदरा विक्रय मूल्य × लागू करों की प्रतिशत दर) / (100 + लागू कर दरों का योग)

स्पष्टीकरण.– इस नियम के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "लागू कर" का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी) या केंद्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी) या राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यू.टी.जी.एस.टी) से है, जैसा कि मामला हो;

(ख) "खुदरा विक्रय मूल्य" का तात्पर्य माल पर घोषित अधिकतम मूल्य से है जिस पर ऐसा माल पैकिंग में रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय के लिए हो सकता है और इसमें सभी कर, ड्यूटी, अधिभार या उपकर सम्मिलित हैं, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं;

(ग) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर एक से अधिक खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां ऐसे खुदरा विक्रय मूल्यों में से अधिकतम को खुदरा विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(घ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य को आपूर्ति से पहले, दौरान या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में खुदरा विक्रय मूल्य में वृद्धि के लिए बदल दिया गया हो, वहां ऐसे परिवर्तित खुदरा विक्रय मूल्य खुदरा को विक्रय मूल्य माना जाएगा;

(ङ) जहां किसी निर्दिष्ट माल के पैकेज पर विभिन्न क्षेत्रों में पैकिंग के रूप में विक्रय के लिए विभिन्न खुदरा विक्रय मूल्य घोषित किए गए हों, वहां प्रत्येक ऐसा खुदरा विक्रय मूल्य उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट माल के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खुदरा विक्रय मूल्य होगा जिससे यह खुदरा विक्रय मूल्य संबंधित है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 86B में, प्रथम परंतुक में, खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(च) निर्माता के अलावा पंजीकृत व्यक्ति को इस नियम के उपबंधों से छूट केवल नियम 31D के अंतर्गत निर्दिष्ट माल के संबंध में होगी, जिन पर आपूर्तिकर्ता द्वारा खुदरा विक्रय मूल्य के आधार पर कर दिया गया है:"

[फा.सं. CBIC-20001/2/2025-GST]

(कृति पाण्डेय)
अवर सचिव

टिप्पणी:– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017 को सा.का.नि. 610(अ), दिनांक 19 जून, 2017 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2025-केंद्रीय कर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से सा.का.नि. 805(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।